2006 का विधेयक संख्यांक .

[दि स्पोर्टस ब्रॉडकास्टिंग सिगनल्स (मैंडेटरी शेयरिंग विद प्रसार भारती) बिल, 2006 का हिन्दी अनुवाद]

खेलकूद प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) विधेयक, 2006

भारत में या विदेश में होने वाली ऐसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व की प्रतियोगिताओं के रूप में अधिसूचित की जाएं, अधिकांश श्रोताओं और दर्शकों को प्रसार भारती के साथ खेलकूद प्रसारण सिगनलों की अनिवार्य हिस्सेदारी के माध्यम से, फ्री टू एयर आधार पर पहुंच उपलब्ध कराने और उससे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खेलकूद प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2006 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) अन्यथा उपबंधित के सिवाए यह 11 नवम्बर, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा

जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''प्रसारणकर्ता'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो कोई प्रकरण प्रसारण सेवा प्रदान करता है और उसके अंतर्गत प्रसारण नेटवर्क सेवा प्रदाता भी है जब वह अपने स्वयं के टेलीविजन या रेडियो चैनल सेवा का प्रबंध करता है और उसका प्रचालन करता है ;

(ख) ''प्रसारण'' से किसी प्रकार के संचार प्रकरण को जैसे कि चिह्नों, संकेतों, लेख, तस्वीरों, छवियों और ध्वनियों को एकत्रित करना और उनका कार्यक्रम तैयार करना है तथा या तो उसे विनिर्दिष्ट आवृतियों पर इलैक्ट्रो-मैगनेटिक तरंगों पर इलैक्ट्रोनिक रूप में रखना और उसे वाहक तरंगों पर निरंतर उपलब्ध कराने के लिए अंतरिक्ष या केबलों के माध्यम से पारेषण करना या कंप्यूटर नेटवर्क पर अंकीय डाटा रूप में निरंतर प्रवाहित करना जिससे कि वह या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से प्रापक युक्तियों के माध्यम से एकल या बहु उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच के भीतर हो ; और उसके सभी व्याकरणीय रूप भेद और सजातीय पद अभिप्रेत है ;

(ग) ''प्रसारण सेवा'' से संचार प्रकरण को एकत्रित करना, कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें विनिर्दिष्ट आवृतियों पर इलैक्ट्रो-मैगनेटिक तरंगों पर इलैक्ट्रोनिक रूप में रखना और उसे प्रसारण नेटवर्क या नेटवर्क के माध्यम से निरंतर पारेषित करना अभिप्रेत है जिससे सभी या किन्हीं बहु उपयोगकर्ताओं को अपनी प्रापक युक्तियों को अपने संबंधित प्रसारण नेटवर्कों से जोड़कर अपनी पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाया जा सके और उसके अंतर्गत प्रकरण प्रसारण सेवाएं और प्रसारण नेटवर्क सेवाएं भी हैं ;

(घ) ''प्रसारण नेटवर्क सेवा'' से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो बहु उपयोगकर्ताओं को मार्गनिर्देशित या अमार्गनिर्देशित इलैक्ट्रो-मैगनेटिक तरंगों के माध्यम से विनिर्दिष्ट आवृतियों पर इलैक्ट्रोनिक रूप में प्रसारण प्रकरण को ले जाने के लिए केबलों या पारेषण युक्तियों की अवसंरचना का नेटवर्क प्रदान करती है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी का प्रबंध और प्रचालन भी है :--

(i) टेलीपोर्ट/हब/भूमि केन्द्र ;

(ii) डाइरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रसारण नेटवर्क ;

(iii) बहु-प्रणाली केबल टेलीविजन नेटवर्क ;

(iv) स्थानीय केबल टेलीविजन नेटवर्क ;

(v) सैटेलाइट रेडियो प्रसारण नेटवर्क ;

(vi) ऐसी कोई अन्य नेटवर्क सेवा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ;

(ङ) ''केबल टेलीविजन चैनल सेवा'' से बहु उपयोगकर्ताओं को आवृतियों के एक निश्चित सेट पर किसी प्रसारण टेलीविजन प्रकरण को केबलों द्वारा एकत्रित करना, उनका कार्यक्रम तैयार करना और पारेषण करना अभिप्रेत है ;

(च) ''केबल टेलीविजन नेटवर्क'' से ऐसी कोई प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें नजदीकी पारेषण पथ और सहयुक्त सिगनल जेनेरेशन, नियंत्रण और वितरण उपस्कर भी है जो बहु उपयोगकर्ताओं द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए टेलीविजन चैनलों या कार्यक्रमों को प्राप्त करने और उन्हें पारेषित करने के लिए अभिकल्पित किया गया

है ;

(छ) ‘‘समुदाय रेडियो सेवा’’ से क्षेत्रीय रेडियो प्रसारण अभिप्रेत है जो किसी विनिर्दिष्ट समुदाय के लिए ही और विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए आशयित और निर्बंधित है ;

(ज) ‘‘प्रकरण’’ से कोई ऐसी ध्वनि, पाठ, डाटा, तस्वीर (स्थिर या चल), अन्य श्रव्य-दृश्य व्यपदेशन, सिगनल या किसी प्रकार की आसूचना या उनका कोई समुच्चय अभिप्रेत है जो इलैक्ट्रोनिक रूप से सृजित किए जाने, प्रसंस्कृत किए जाने, भंडारित किए जाने, पुनःप्राप्त किए जाने या संसूचित किए जाने योग्य है ;

(झ) ‘‘प्रकरण प्रसारण सेवा’’ से किसी प्रकरण को एकत्रित करना, उसका कार्यक्रम तैयार करना और इलैक्ट्रोनिक रूप में रखना तथा उसे प्रसारण नेटवर्क पर विनिर्दिष्ट आवृतियों पर इलैक्ट्रो-मैगनेटिक तरंगों पर पारेषित या पुनःपारेषित करना अभिप्रेत है जिससे कि उसे बहु उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनी प्रापक युक्तियों को नेटवर्क से जोड़कर पहुंच प्राप्त करने योग्य बनाया जा सके और इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी का प्रबंध और प्रचालन भी है :—

(i) क्षेत्रीय टेलीविजन सेवा ;

(ii) क्षेत्रीय रेडियो सेवा ;

(iii) सैटेलाइट टेलीविजन सेवा ;

(iv) सैटेलाइट रेडियो सेवा ;

(v) केबल टेलीविजन चैनल सेवा ;

(vi) समुदाय रेडियो सेवा ;

(vii) ऐसी कोई अन्य प्रकरण प्रसारण सेवाएं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ;

(ञ) ‘‘डाइरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रसारण सेवा’’ से किसी उपयोगकर्ता के परिसरों में कार्यक्रमों को किसी मध्यवर्ती जैसे कि किसी केबल ऑपरेटर के माध्यम से वितरित न करके सैटेलाइट प्रणाली को अपलिंकिंग करके बहु-चैनल वितरण की सेवा अभिप्रेत है ;

(ट) ‘‘दिशानिर्देशों’’ से धारा 5 के अधीन जारी किए गए दिशा-निर्देश अभिप्रेत हैं ;

(ठ) ‘‘बहु-प्रणाली केबल टेलीविजन नेटवर्क’’ से किसी भूमि आधारित पारेषण द्वारा तारयुक्त केबल या ताररहित केबल या दोनों का संयोजन प्रयोग करके या तो बहु उपयोगकर्ताओं द्वारा सीधे या एक या अधिक स्थानीय केबल ऑपरेटरों के माध्यम से एक साथ प्राप्त करने के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों की बहु चैनल डाउन लिंकिंग तथा वितरण प्रणाली अभिप्रेत है ;

(ड) ‘‘विहित’’ से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ढ) ‘‘सैटेलाइट टेलीविजन सेवा’’ से ऐसी टेलीविजन प्रसारण सेवा अभिप्रेत है जो सैटेलाइट का उपयोग करते हुए प्रदान की जाती है और स्थानीय परिदान प्रणाली की सहायता से या उसकी सहायता के बिना प्राप्त की जाती है किन्तु उसके अंतर्गत

डाइरेक्ट-टू-होम परिदान सेवा नहीं है ;

(ण) "सैटेलाइट रेडियो सेवा" से ऐसी रेडियो प्रसारण सेवा अभिप्रेत है जो सैटेलाइट का उपयोग करते हुए प्रदान की जाती है और भारत में बहु उपयोगकर्ताओं द्वारा रिसीवर सेटों के माध्यम से सीधे प्राप्त की जा सकती है ;

(त) "सेवा प्रदाता" से प्रसारण सेवा प्रदाता अभिप्रेत है ;

(थ) "विनिर्दिष्ट" से धारा 5 के अधीन जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है ;

(द) "क्षेत्रीय टेलीविजन सेवा" से ऐसी टेलीविजन प्रसारण सेवा अभिप्रेत है जो भूमि आधारित ट्रांसमीटर का उपयोग करके वायु द्वारा प्रदान की जाती है और जनता द्वारा रिसीवर सेटों के माध्यम से सीधे प्राप्त की जाती है ;

(ध) "स्थलीय रेडियो सेवा" से भूमि-आधारित ट्रांसमीटर का प्रयोग करके वायु के माध्यम से उपलब्ध कराई गई और जनसाधारण द्वारा रिसीवर सैटों के माध्यम से सीधे प्राप्त की गई रेडियो प्रसारण सेवा अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995, भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, भारतीय तार अधिनियम, 1885, भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 में परिभाषित किए गए हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में उनके हैं ।

1995 का 7
1997 का 24
1885 का 13
1933 का 17

अध्याय 2

प्रसार भारती के साथ खेलकूद प्रसारण सिगनलों की अनिवार्य हिस्सेदारी

कतिपय खेलकूद प्रसारण सिगनलों की अनिवार्य हिस्सेदारी ।

3. कोई भी प्रकरण अधिकार का स्वामी या धारक और कोई भी टेलीविजन या रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाता, भारत में किसी केबल पर या डाइरेक्ट-टू-होम नेटवर्क या रेडियो कमेंट्री प्रसारण पर, भारत में या विदेश में हुए ऐसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का अधिसूचित किया जाए, सीधा प्रसारण तभी करेगा, जब वह एक साथ प्रसार भारती के साथ, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, उसके स्थलीय नेटवर्कों और डायरेक्ट-टू-होम नेटवर्कों पर उनका पुनः प्रसारण करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए, अपने विज्ञापनों के बिना, सीधे प्रसारण सिगनलों में हिस्सेदारी करता है ।

शास्तियां ।

4. केंद्रीय सरकार, ऐसे विभिन्न निबंधनों और शर्तों के अतिक्रमण के लिए, जो धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट की जाएं, अधिरोपित की जाने वाली शास्तियां, जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति, अनुमति या रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण भी है, इस शर्त के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि किसी धन संबंधी शास्ति की रकम एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु कोई भी शास्ति, सेवा प्रदाता को युक्तियुक्त अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी :

परंतु यह और कि 11 नवंबर, 2005 के पश्चात् और खेलकूद प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 को अनुमति प्राप्त होने की तारीख से पूर्व, किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप शास्तियों के अधीन नहीं होगा ।

अध्याय 3

केंद्रीय सरकार की शक्तियां

5. केंद्रीय सरकार, धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के रूप में अधिसूचित खेलकूद के संबंध में प्रसार भारती के साथ खेलकूद प्रसारण सिगनलों में अनिवार्य हिस्सेदारी के लिए, दिशानिर्देश जारी करके ऐसे सभी उपाय करेगी, जो वह ठीक या समीचीन समझे । दिशानिर्देश जारी करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

6. केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी । नियम बनाने की कद्रीय सरकार की शक्ति ।

7. इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, बनाया गया प्रत्येक नियम और जारी किया गया दिशानिर्देश, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखे जाते हैं, ठीक बाद के सत्र या उपरोक्त के पश्चात्वर्ती सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या दिशानिर्देश में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाते हैं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या दिशानिर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए तो ऐसा नियम या दिशानिर्देश, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा । तथापि, उस नियम या दिशानिर्देश के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । नियमों और दिशानिर्देशों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

8. (1) खेलकूद प्रसारण सिगनलों की अनिवार्य हिस्सेदारी के लिए 11 नवंबर, 2005 को टेलीविजन चैनलों को डाउनलिंक किए जाने के लिए और 2 दिसंबर, 2005 को भारत से अपलिंक किए जाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के उपबंध इस प्रकार विधिमान्य समझे जाएंगे, मानो वे इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए हों । विधिमान्य-करण ।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन दिशानिर्देशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार या प्रसार भारती द्वारा की गई कोई कार्रवाई, सभी प्रयोजनों के लिए विधि के अनुसार की गई और सदैव इस प्रकार की गई समझी जाएगी, मानो दिशानिर्देश सभी तात्विक समयों पर विधिमान्य रूप से प्रवृत्त रहे हों और उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी तथा पूर्वगामी उपबंधों की पूर्विक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी न्यायालय या किसी डिक्री या किसी आदेश द्वारा दिए गए ऐसे किसी निर्देश के प्रवर्तन के संबंध में कोई विधिक कार्यवाही किसी न्यायालय में नहीं चलाई जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी, जो इस प्रकार न दिया गया होता, यदि दिशानिर्देश सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त होते ।

9. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो केंद्रीय सरकार, ऐसा आदेश कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो : कठिनाइयों को दूर करना ।

परंतु इस उपधारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और धारा 7 के उपबंध ऐसे आदेश को इस प्रकार लागू होंगे, मानों वह इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई नियम या जारी किया गया दिशानिर्देश हो ।

व्यावृत्ति ।

10. प्रसार भारती के साथ खेलकूद प्रसारण सिगनलों की अनिवार्य हिस्सेदारी के लिए 11 नवंबर, 2005 को जारी किए गए टेलीविजन चैनलों के डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देशों और 2 दिसंबर, 2005 को भारत से अपलिंकिंग के लिए दिशानिर्देशों के अधीन सुसंगत उपबंध, इस अधिनियम के अधीन नए दिशानिर्देश जारी किए जाने तक प्रवृत्त बने रहेंगे ।